Anil Bhatia ***v.*** The State of Haryana and others
(V.K. Bali, J.)

V.K बाली, J के सामने

अनिल भाटिया, -याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य ,-उत्तरदाता

1995 का सी. डब्ल्यू. पी. 17306

4जुलाई, 1997

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226/227-हरियाणा संबद्ध कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 1979-D.A.V. में शिक्षण कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची। हरियाणा के कॉलेज-इसे रद्द करने की प्रार्थना -आयोजित, मान्यता प्राप्त कॉलेजों के उस अध्यादेश XVI में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि शासी निकाय में एक से अधिक कॉलेज हैं इसके तहत एक समेकित योग्यता सूची रखी जाएगी-प्रबंधन में कठिनाइयों से बचने के लिए सामान्य वरिष्ठता सूची रखना बेहतर है जहाँ नौकरियाँ हस्तांतरणीय हैं-रिट खारिज।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण में खंड 2 (ई) में संशोधन करते समय यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पहले की परिभाषा राज्य में एक से अधिक महाविद्यालयों का प्रबंधन करने वाले निकायों के लिए प्रशासनिक और कानूनी कठिनाइयाँ पैदा कर रही थी और ऐसे प्रबंधन निकायों को इन कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम बनाने के लिए अधिनियम की खंड 2 के खंड (ई) में उपयुक्त संशोधन करना आवश्यक था। इसके अलावा, यह मामला संलग्नक आर-6 द्वारा तय किया गया है जो गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त कॉलेजों में शिक्षकों की वरिष्ठता सूचियों को तैयार करने से संबंधित है।संलग्नक आर-6 मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के अध्यादेश XVI के परिशिष्ट IX के खंड 6 के संदर्भ में अस्तित्व में आया।खंड 3 जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक से अधिक महाविद्यालय वाले शासी निकाय में वरिष्ठता की एक समेकित सूची होगी।यह न्यायालय इसके विपरीत भी विचार रखता है कि जहाँ एक समाज है।निगमित निकाय या किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण के पास कई शैक्षणिक संस्थान हैं और उक्त में काम करने वाले कर्मचारी हैं।संस्थानों में एक हस्तांतरणीय नौकरी होती है, एक सामान्य वरिष्ठता सूची तैयार करना हमेशा बेहतर होता है, अन्यथा यह कर्मचारियों और शैक्षणिक संस्थानों

का प्रबंधन करने वाले निकायों दोनों के लिए दुर्गम कठिनाइयाँ पैदा कर सकता है।यह याद किया जा सकता है।याचिकाकर्ता ने अपना कारण खो दिया कि वह प्रतिवादी संस्थान के कुछ कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में पहले के रिट में अभिवचन कर रहा था।यह अनिवार्य रूप से इस बात का अनुसरण करता है कि प्रतिवादी संस्थान के कर्मचारियों के पास हस्तांतरणीय नौकरी है।एक ही प्रबंधन के तहत विभिन्न संस्थानों में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों के लिए उचित प्रबंधन और प्रशासन के लिए हमेशा सामान्य वरिष्ठता सूची होना बेहतर होता है।

(पैरा 8)

अनिल भाटिया, *व्यक्तिगत रूप से याचिकाकर्ता।*
एन. एस. भिंडर जिला।वकील, *प्रतिवादी संख्या 2 के लिए*
निर्मलजीत कौर, अधिवक्ता, *प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के लिए।*

निर्णय

वी. के. बाली जे.

(1) डी. एन. कॉलेज, हिसार में अंग्रेजी के वरिष्ठ व्याख्याता अनिल भाटिया ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर वर्तमान याचिका द्वारा से सरशियोरेराई प्रकृति में रिट जारी करने की मांग की है ताकि 31 दिसंबर, 1992 के आदेश संलग्नक पी-1 को रद्द किया जा सके, जो दिसंबर, 1992 तक हरियाणा में डी. ए. वी. कॉलेज के शिक्षण कर्मचारियों (व्याख्याताओं) की संयुक्त वरिष्ठता सूची है।माँगी गई राहत के समर्थन में आधारों पर ध्यान देने से पहले, उन तथ्यों को वापस देना आवश्यक होगा जो उस वर्तमान याचिका को दायर करने में समाप्त हुए।

(2) यह निवेदन किया जाता है कि नवंबर, 1977 में हरियाणा राज्य ने राज्य में निजी रूप से संबद्ध सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के मामलों को देखने के लिए एक सर्वेक्षण समिति नियुक्त की।उक्त समिति ने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके आधार पर प्रतिवादी-राज्य ने कई निर्णय लिए और एक अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, हरियाणा के विधानमंडल में प्रबंध समितियों की मनमानी और सेवा की सुरक्षा के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी देने वाला एक विधेयक पेश किया गया।विधेयक के परिणामस्वरूप, हरियाणा संबद्ध महाविद्यालय (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 1979 के रूप में जाना जाने वाला अधिनियम अस्तित्व में आया।उपरोक्त अधिनियम की खंड 2 (ई) में प्रावधान है कि प्रत्येक संबद्ध कॉलेज की अपनी प्रबंधन समिति होगी।की खंड 2 (ई)
अधिनियम इस प्रकार हैः—

"'प्रबन्धन समिति' से किसी संबद्ध महाविद्यालय की प्रबन्धन समिति अभिप्रेत है और इसमें उस समय के लिए कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय शामिल है जिसे ऐसे महाविद्यालय के कार्यों का प्रबन्धन सौंपा गया है।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 2 (ई) में प्रयुक्त भाषा के आधार पर, याचिकाकर्ता का मूल मामला, जैसा कि उसने अनुरोध किया था और इसलिए उसके द्वारा तर्क दिया गया था, यह है कि प्रबंध समिति (जिसे शासी निकाय भी कहा जाता है) प्रतिवादी संख्या 4 यहाँ D.N के मामलों का प्रबंधन करना है। महाविद्यालय, हिसार और प्रत्यर्थी नं. 6 i.e. डी. ए. वी. कॉलेज की प्रबंध समिति के पास कॉलेज के मामलों को बनाए रखने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। अपने पूर्व कथित तर्क के लिए, वह कटरा एजुकेशन सोसाइटी, इलाहाबाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले पर निर्भर करता है (AIR 1966 S.C. 1307)। उपर्युक्त मामले के तथ्य यह थे कि धारा 16-क से 16-1 को 1958 के 35वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1921 के उत्तर प्रदेश अधिनियम 2 में जोड़ा गया था। कटरा एजुकेशन सोसाइटी का कार्यकारी निकाय, संशोधन अधिनियम से पहले, संस्थान के मामलों का प्रबंधन करता था। जब शैक्षणिक अधिकारियों ने प्रबंधन समिति के गठन का आदेश दिया, तो सोसायटी ने राज्य सरकार के शैक्षणिक अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को रद्द करते हुए रिट जारी करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। हालाँकि उस रिट को खारिज कर दिया गया था। पीड़ित सोसायटी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की जिसे एक संवैधानिक पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 16-ए को 16-1 में जोड़ने के बाद, यह प्रबंधन समिति थी जिसे संस्थान के मामलों के प्रबंधन और संचालन का अधिकार दिया गया था, न कि कटरा शिक्षा सोसायटी के कार्यकारी निकाय को। उपर्युक्त निर्णय के अनुपात पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि 1979 के अधिनियम के साथ-साथ हरियाणा संबद्ध कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) नियम, 1993 और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड I, 1989 के लागू होने के बाद, प्रबंध समिति जिसे शासी निकाय के रूप में जाना जाता है, हरियाणा राज्य में शैक्षणिक संस्थानों के मामलों का प्रबंधन करने के लिए है और इसलिए, प्रतिवादी संख्या 6 को वरिष्ठता सूची तैयार करने का कोई अधिकार नहीं है संलग्नक पी-1. यह याचिकाकर्ता का मामला है कि 1979 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने ऐसे कॉलेजों के शासी निकायों के गठन के संबंध में गैर-सरकारी संबद्ध कॉलेजों के सभी प्राचार्यों को एक पत्र लिखा था। इस पत्र की सामग्री को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक कॉलेज के शासी निकाय में 21 से अधिक सदस्य और 11 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए थे। शासी निकाय नामक प्रबंध समिति के इस स्वरूप को विश्वविद्यालय कैलेंडर में शामिल किया गया था, जिसका खंड 6 इस प्रकार हैः—

"प्रत्येक गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में एक शासी निकाय होगा जिसमें 21 से अधिक सदस्य और 11 से कम सदस्य नहीं होंगे—

(i) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, खजांची और महासचिव का चुनाव मूल सोसायटी/ट्रूट के सदस्यों द्वारा किया जाता है जो कॉलेज चला रहे हैं।

(ii) महाविद्यालय के प्राचार्य शासी निकाय के पदेन सदस्य-सचिव होंगे।

(iii) विश्वविद्यालय का एक नामांकित व्यक्ति।

(iv) राज्य सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति।

(v) पूरे समय के लिए आपस में चुने गए दो शिक्षक प्रतिनिधियों ने कॉलेज के शिक्षकों को मंजूरी दी और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि को भी शासी निकाय में चुना गया।

(vi) शेष सदस्य (अधिकतम 11 तक) राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाएंगे।"

खंड 2 (सी) एक कर्मचारी को किसी भी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो किसी संबद्ध कॉलेज के पूर्णकालिक रोजगार में है।यह याचिकाकर्ता का मामला है कि वह 1973 में प्रतिवादी कॉलेज में अंग्रेजी में व्याख्याता के रूप में शामिल हुआ था और इस तरह वह संबद्ध कॉलेज का कर्मचारी है न कि प्रतिवादी संख्या 6 या 7 का।इसे ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी-महाविद्यालय के कर्मचारियों के मामले में वरिष्ठता सूची केवल प्रबंध समिति यानी प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा तैयार की जा सकती है और इसलिए, प्रतिवादी संख्या 8 के पास वरिष्ठता सूची तैयार करने का कोई न्यायशास्त्र नहीं था।

(3) याचिकाकर्ता ने पहले सिविल रिट याचिका नं. 1992 का 12480 प्रत्यर्थी संख्या 6 द्वारा जारी एक विज्ञापन को चुनौती देते हुए प्राचार्य, डीएवी कॉलेज, नेनेओला, जिला अंबाला के पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। याचिकाकर्ता का मामला था कि प्रत्यर्थी संख्या 6 प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी भी डीएवी कॉलेज के लिए प्राचार्य के पद का विज्ञापन करने में सक्षम नहीं था क्योंकि अधिनियम, नियमों और विश्वविद्यालय कैलेंडर के तहत, कॉलेज का केवल शासी निकाय जो नियुक्ति प्राधिकरण था, पद का विज्ञापन करने में सक्षम था। हालाँकि, इस न्यायालय ने 2 नवंबर, 1992 के आदेशों के माध्यम से राज्य सरकार को याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। उत्तरदाता-राज्य निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित हैः—

"यह संबद्ध महाविद्यालय का शासी निकाय है जो प्राचार्य पद के विज्ञापन और उपयुक्त उम्मीदवार के चयन सहित महाविद्यालय के मामलों का प्रबंधन

करने में सक्षम है।डी. ए. वी. कॉलेज प्रबंधन समिति, नई दिल्ली इस तरह का विज्ञापन जारी करने और प्राचार्य के पद के लिए उम्मीदवार के चयन के लिए इस तरह का साक्षात्कार आयोजित करने के लिए सक्षम नहीं है।इन परिस्थितियों में, डी. ए. वी. कॉलेज प्रबंधन समिति, ननोला (अंबाला) को डी. ए. वी. कॉलेज प्रबंधन समिति, चित्रगुप्त रोड, नई दिल्ली द्वारा दिए गए विज्ञापन को नजरअंदाज करने और प्राचार्य के रिक्त पद को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए अपना विज्ञापन जारी करने का निर्देश दिया जाता है।इसके अलावा, डी. ए. वी. कॉलेज प्रबंधन समिति, नानेओला इस संबंध में सरकार/विश्वविद्यालय के मौजूदा नियमों के अनुसार साक्षात्कार आयोजित करेगी और कॉलेज के प्राचार्य के रूप में उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन/नियुक्ति करेगी।"

यह याचिकाकर्ता का मामला है कि उपरोक्त आदेश को प्रतिवादी द्वारा कभी भी इस न्यायालय या भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी।अपने मामले को और मजबूत करने के लिए, याचिकाकर्ता प्रतिवादी-राज्य द्वारा 1990 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7388 (डी. ए. वी. कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी और ए. एन. आर. बनाम.हरियाणा राज्य और अन्य), जिसका प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः—

"यह प्रस्तुत किया जाता है कि डी. ए. वी. कॉलेज प्रबंधन समिति, नई दिल्ली, हरियाणा में डी. ए. वी. कॉलेजों की शासी निकाय नहीं है।हरियाणा में डी. ए. वी. कॉलेजों के अपने स्वतंत्र और अलग शासी निकाय हैं।इन शासी निकायों का गठन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कैलेंडर, खंड के अध्यादेश XVI के खंड 6 के अनुसार किया गया है। I, 1989 pp 122-123 "(WS पैरा 4)।"चार पदधारियों का चुनाव इस निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना चाहिए।इस संबंध में इस माननीय उच्च न्यायालय का ध्यान सी. डब्ल्यू. पी. सं. 1795/1983 "(पी. 6 पर डब्ल्यू. एस. पैरा 4) के निर्णय की ओर आकर्षित किया जाता है।"यह देखना प्रतिवादी का संवैधानिक कर्तव्य है कि विद्या सम्बन्धी उत्कृष्टता और स्वस्थ वातावरण के हित में संस्थानों द्वारा विभाग और विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों का पालन किया जाए "(डब्ल्यू. एस. पैरा 10)।"रिट याचिका के पैरा 12 के जवाब में, यह प्रस्तुत किया गया है कि 28 मार्च, 1979 के निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक डी. ए. वी. कॉलेज का प्रबंधन उस कॉलेज के शासी निकाय द्वारा किया जाना है।याचिकाकर्ताओं को हरियाणा राज्य में डी. ए. वी. कॉलेजों के मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है "(डब्ल्यू. एस. पैरा 12)।"रिट याचिका के पैरा 19 के जवाब में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि

पदों का विज्ञापन नियोक्ता-संस्थान अर्थात डी. ए. वी. महाविद्यालय जो न्यायिक व्यक्ति हैं जिनके अपने स्वतंत्र और अलग शासी निकाय हैं जो डी. ए. वी. महाविद्यालयों के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करने वाले अधिकारी हैं।याचिकाकर्ता डी. ए. वी. कॉलेज के लिए पदों का विज्ञापन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह नियोक्ता का सह-कर्मचारी नहीं है, हाँ डी. ए. वी. कॉलेजों में काम कर रहे हैं डी. ए. वी. कॉलेजों के कर्मचारी नहीं हैं याचिकाकर्ता संख्या 1 के पेरोल पर।कर्मचारी डी. ए. वी. महाविद्यालयों की वेतन सूची में हैं और यह हरियाणा सरकार है, जो सेवा सुरक्षा अधिनियम की खंड 2 (ई) के अनुसार भविष्य निधि *और* उपदान सहित उनके वेतन का भुगतान करती है, महाविद्यालय का प्रबंधन एक महाविद्यालय के शासी निकाय को सौंपा जाता है।इसलिए, पदों का विज्ञापन कॉलेजों/शासी निकाय द्वारा किया जाना चाहिए।सेवा सुरक्षा अधिनियम और विश्वविद्यालय कैलेंडर के तहत, याचिकाकर्ता संख्या 1 को लोक सेवा आयोग जैसे निकाय का दर्जा प्राप्त नहीं है।याचिकाकर्ताओं का रुख सेवा सुरक्षा अधिनियम/विश्वविद्यालय कैलेंडर के विपरीत है।डी. ए. वी. कॉलेज के मामलों में याचिकाकर्ता संख्या 1 के हस्तक्षेप के खिलाफ, इस माननीय न्यायालय ने 17 मई, 1989 को सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 38/1989 को स्वीकार किया।"यह जोरदार आग्रह किया जाता है कि चयनित व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र केवल कॉलेज के शासी निकाय द्वारा जारी किए जा सकते हैं, जो नियुक्ति प्राधिकरण है "(डब्ल्यू. एस. पैरा 22)।"हरियाणा सरकार याचिकाकर्ता संख्या 1 को मान्यता नहीं देती है।हरियाणा सरकार केवल एक कॉलेज के शासी निकाय को मान्यता देती है "(डब्ल्यू. एस. पैरा 23)।"यह प्रस्तुत किया जाता है कि विभिन्न डी. ए. वी. कॉलेजों के शासी निकाय स्थानीय समितियों की प्रकृति में नहीं हैं।सेवा सुरक्षा अधिनियम के तहत, एक कॉलेज के शासी निकाय को एक संबद्ध कॉलेज के मामलों के प्रबंधन का काम सौंपा जाता है।महाविद्यालय की सरकार शासी निकाय है।शासी निकाय के अध्यक्ष का चुनाव सोसायटी/न्यास के सदस्यों द्वारा किया जाता है।तथ्य यह है कि प्रो.वेद व्यास को नामित किया गया था और आवश्यकतानुसार निर्वाचित नहीं किया गया था जो दर्शाता है कि उनका चुनाव आरम्भतः ही अमान्य था।एक कॉलेज का कुप्रशासन किया जाता है यदि इसकी शासी निकाय *का उचित* रूप से गठन नहीं किया जाता है (डब्ल्यू. एस. पैरा 29)।"यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता एक डी. ए. वी. कॉलेज में काम करने वाले कर्मचारियों को दूसरे डी. ए. वी. कॉलेज में स्थानांतरित करने के लिए सक्षम नहीं हैं।"यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता हरियाणा राज्य में डी. ए. वी. संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों की

नियुक्ति का अधिकारी नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि संबंधित कॉलेज की प्रबंध समिति कर्मचारियों की नियुक्ति/दंडित करने का अधिकार रखती है। उनके अधीन कार्य करना यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम स्वयं यह प्रावधान करता है कि प्रबंध समिति का अर्थ है एक संबद्ध कॉलेज की प्रबंधन समिति "(डब्ल्यू. एस. पैरा 55 उप पैरा ix)

याचिकाकर्ता उपरोक्त रिट याचिका में विश्वविद्यालय द्वारा दायर लिखित बयान पर भी भरोसा करता है जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि एक संबद्ध कॉलेज का पूरा प्रबंधन कॉलेज के शासी निकाय में निहित है जिसका गठन प्रतिवादी-विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों और विश्वविद्यालय कैलेंडर में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाना है।

(4) याचिकाकर्ता द्वारा आगे यह अनुरोध किया गया है कि वरिष्ठता सूची तैयार करने से संबंधित नियम अधिनियम, नियमों और विश्वविद्यालय कैलेंडर के तहत बनाए गए हैं।नियमों के नियम 9 (1) और परिशिष्ट 'ए' में निहित प्रावधानों से, जो नियम 3 और परिशिष्ट 'सी' के आधार पर अस्तित्व में आया, जो नियम 9 (2) के आधार पर अस्तित्व में आया, यह याचिकाकर्ता का मामला है कि प्रतिवादी संख्या 4 को परिशिष्ट 'सी' में निर्धारित प्रपत्र में नियमों के नियम 9 (2) के अनुसार कॉलेज में प्रत्येक संवर्ग की वरिष्ठता सूची तैयार करनी होगी।इस वैधानिक नियम से यह स्पष्ट है कि वरिष्ठता सूची कॉलेज-वार होनी चाहिए और हरियाणा के सभी डी. ए. वी. कॉलेजों में काम करने वाले सभी व्याख्याताओं की संयुक्त वरिष्ठता सूची का कोई प्रावधान नहीं है।इस कारण से भी, याचिकाकर्ता का तर्क है कि वरिष्ठता सूची, संलग्नक पी-1 को रद्द किया जा सकता है।याचिकाकर्ता अपने इस तर्क के लिए विश्वविद्यालय कैलेंडर के नियम 15 पर भी भरोसा करता है कि प्रत्येक संबद्ध/मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी कॉलेज को अपने शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तैयार करनी होती हैः

"15 :प्रत्येक मान्यता प्राप्त गैर-सरकारी कॉलेज इस अध्यादेश के परिशिष्ट XIV में निर्धारित नियमों के अनुसार 1 नवंबर, 1966 को स्थिति में व्यक्तियों के आधार पर अपने शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तैयार करेगा और इसे विश्वविद्यालय को प्रदान करेगा।ऐसी सूचियों को हर साल 1 नवंबर को अद्यतन किया जाएगा।

यह याचिकाकर्ता का मामला है कि प्रत्येक डीएवी कॉलेज की अपनी कॉलेज-वार वरिष्ठता सूची है जिसे प्रतिवादी विश्वविद्यालय और सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है और संयुक्त वरिष्ठता सूची का कोई प्रावधान नहीं है।।याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी द्वारा दायर लिखित बयान की सामग्री से अपने उपरोक्त तर्क का समर्थन करने का प्रयास किया है-1992 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 5851 में राज्य और 20 अप्रैल, 1990 के संलग्नक पी-6 से भी, हालांकि याचिका के पैराग्राफ 28 * में निहित उक्त अभिवचनों पर इस तरह के किसी भी तर्क को संबोधित नहीं किया गया है।

(5) याचिकाकर्ता के मामले पर सवाल उठाया गया है, और विपक्षी प्रतिवादियों द्वारा प्रदान किए गए लिखित बयान में प्रारंभिक आपत्तियों के माध्यम से यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता को 23 अगस्त, 1994 को अस्वीकार कर दिया गया था, जब उन्होंने इस अदालत में 1994 की सीडब्ल्यूपी संख्या 3573 दायर की थी। ।उस रिट में याचिकाकर्ता ने श्री जी. डी. जिंदल और श्री आर. के. चौहान के डी. ए. वी. कॉलेज, अंबाला और डी. ए. वी. कॉलेज, पुंडरी से क्रमशः दयानंद स्नातकोत्तर कॉलेज, हिसार और डी. ए. वी. कॉलेज, अंबाला में स्थानांतरण को इस आधार पर चुनौती दी थी कि राज्य ने माना था कि प्रत्येक डी. ए. वी. संस्थान का एक अलग शासी निकाय है और दो डी. ए. वी. संस्थानों के बीच कोई स्थानांतरण वैध रूप से नहीं किया जा सकता है।उन्होंने आगे अनुरोध किया कि प्राचार्य की नियुक्ति कॉलेज के शासी निकाय द्वारा की जानी थी और यह स्थानांतरण के माध्यम से नहीं किया जा सकता था क्योंकि प्रत्येक डी. ए. वी. कॉलेज एक अलग संस्थान है और कॉलेज की प्रबंध समिति स्थानीय शासी निकाय थी और डी. ए. वी. कॉलेज प्रबंधन समिति, नई दिल्ली नियुक्ति के लिए उचित प्राधिकरण नहीं थी।रिट याचिका को खारिज करने वाले आदेश की एक प्रति संलग्नक आर-एल के रूप में संलग्न की गई है।पीड़ित याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के आदेश को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी।दलीलों के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने वाले प्रतिवादी को एक शपथ पत्र दायर करने और सामान्य वरिष्ठता सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया क्योंकि प्रतिवादी ने यह रुख अपनाया था कि डी. ए. वी. कॉलेज प्रबंधन समिति, नई दिल्ली मूल निकाय थी और अन्य सभी कॉलेज इस प्रबंधन समिति द्वारा शासित थे जो भारत में सभी डी. ए. वी. संस्थानों की वास्तविक प्रबंधन समिति थी।प्रतिवादीओं ने उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित वरिष्ठता सूची की एक प्रति अभिलेख पर रखी।इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली।याचिका वापस लेते समय, याचिकाकर्ता ने न तो उसी वाद हेतुक कारण पर एक और याचिका दायर करने की अनुमति मांगी थी और न ही उसे कभी ऐसी अनुमति दी गई थी।याचिकाकर्ता जो 1994 के सी. डब्ल्यू. पी. 3573 में सफल नहीं हुआ है, उसने वर्तमान याचिका दायर कर उसी आधार पर वरिष्ठता सूची को चुनौती देते हुए कुछ समान निर्देशों की मांग की है, यानी कि डी. ए. वी. कॉलेज प्रबंधन समिति सूची बनाने के लिए उचित प्राधिकरण नहीं है।यह भी अनुरोध किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने जिन आधार पर वरिष्ठता सूची को चुनौती दी है, वह यह है कि डी. ए. वी. कॉलेज की प्रबंध समिति खंड 2 (ई), जे. एस. के तहत एक संबद्ध कॉलेज की एकमात्र प्रबंध समिति है जो एक संबद्ध कॉलेज के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तैयार करने में सक्षम है और इसलिए डी. ए. वी. कॉलेज प्रबंधन समिति के पास कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची तैयार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।अप्रत्यक्ष रूप से, याचिकाकर्ता दावा कर रहा है कि कोई वरिष्ठता सूची नहीं हो सकती है क्योंकि प्रत्येक कॉलेज को अपनी वरिष्ठता सूची बनानी है और सभी कॉलेजों के बीच कोई सामान्य

वरिष्ठता सूची नहीं हो सकती है।याचिकाकर्ता का रुख गलत बताया गया है।सवाल यह है कि क्या प्रबंध समिति, नई दिल्ली मूल निकाय है या नहीं, पहले से ही 1990 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 7388 में इस न्यायालय के समक्ष है जिसमें डी. ए. वी. कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी ने देश के सभी डी. ए. वी. कॉलेजों के प्रशासन के उनके अधिकार के संबंध में बाधा डालने में विश्वविद्यालय की कार्रवाई को चुनौती दी थी।हालाँकि, वह रिट डी. ए. वी. कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी द्वारा दायर की गई थी और डी. ए. वी. कॉलेज संस्थान के पक्ष में रोक लगा दी गई थी, जिसमें कुलपति को इस आधार पर चयन का नाम और अनुमोदन रोकने का निर्देश दिया गया था कि डी. ए. वी. कॉलेज प्रबंधन समिति, नई दिल्ली उचित प्राधिकरण नहीं थी।न केवल वह रोक प्रतिवादी प्रत्यर्थी के पक्ष में काम कर रही है, बल्कि जिस अधिनियम पर याचिकाकर्ता निर्भर है, उसमें संशोधन और स्पष्टीकरण किया गया है।खंड 2 (ई), जैसा कि संशोधित किया गया है, इस प्रकार हैः—

> "प्रबन्धन समिति का अर्थ है किसी संबद्ध महाविद्यालय या महाविद्यालय की प्रबन्धन समिति और इसमें उस समय के लिए एक व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय शामिल है जिसे ऐसे महाविद्यालय या महाविद्यालयों के कार्यों का प्रबन्धन सौंपा गया है।"

उपरोक्त संशोधन 5 जनवरी, 1996 को सरकार द्वारा जारी अधिसूचना द्वारा अस्तित्व में आया। 1979 के अधिनियम की खंड 2 (ई) में संशोधन के उद्देश्य और कारणों के विवरण में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यह देखा गया था कि पहले की परिभाषा राज्य में एक से अधिक महाविद्यालयों का प्रबंधन करने वाले निकायों के लिए प्रशासनिक और कानूनी कठिनाइयाँ पैदा कर रही थी।ऐसे प्रबंधन निकायों को इन कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम बनाने के लिए, अधिनियम की खंड 2 के खंड (ई) में उपयुक्त संशोधन करना आवश्यक है। यह प्रतिवादी का मामला है कि सही तथ्यों को न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया है क्योंकि यह खुलासा नहीं किया गया है कि वरिष्ठता सूची कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार तैयार की गई है जो स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि "नियम संख्या के अधीन है। 4, एक से अधिक महाविद्यालय वाले शासी निकाय में वरिष्ठता की एक समेकित सूची होगी।यह भी अनुरोध किया गया है कि डी. ए. वी. कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजिंग सोसाइटी सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1960 के तहत पंजीकृत है।इसलिए यह एक निगमित निकाय है।सोसायटी के उद्देश्यों में से एक पंजाब और अन्य स्थानों जैसे कॉलेजों, स्कूलों, बोर्डिंग हाउसों, आश्रमों आदि में संस्थानों की स्थापना करना और संस्थानों को संबद्ध और प्रबंधित करना है।सोसायटी के नियम 6 के तहत, सोसाइटी का प्रबंधन प्रबंधन समिति में निहित है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है।विनियमन से यह भी स्पष्ट है कि

प्रबंध समिति कुल मिलाकर और समिति और उसके नियंत्रण वाले संस्थानों द्वारा विनियमों को पारित करने के संबंध में भी अंतिम प्राधिकरण।विनियम 6 इस प्रकार हैः—

"दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी के नियंत्रण और ऐसे विनियमन के अधीन जो उक्त सोसायटी द्वारा पारित किए गए हैं या समय-समय पर पारित किए जा सकते हैं, सोसाइटी के कार्य संचालित किए जाएंगे, इसके उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा और इसके नियंत्रण में संस्थानों का प्रबंधन एक प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा।

प्रबंध समिति के पास स्थानीय समिति का गठन करने की शक्ति है जो प्रबंध समिति, नई दिल्ली के तत्काल नियंत्रण में है।यह सोसायटी के विनियम 106 और 127 से स्पष्ट है जो इस प्रकार हैः—

"106 :प्रबन्धन समिति के पास विभिन्न विभागों और संस्थाओं के संचालन और प्रबंधन के लिए या किसी अन्य उद्देश्य के लिए समितियों, उप-समितियों या स्थानीय समितियों का गठन करने की शक्ति होगी और वह उनके गठन और कार्य के नियम बनाएगी।बशर्ते कि यदि प्रबंध समिति और उपसमिति या समिति की राय है कि वह उसे सौंपे गए संस्थान या विभाग का ठीक से प्रबंधन करने में विफल रही है, या अपने कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करने में विफल रही है, जैसा कि निर्देश दिया गया है या यदि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें पार्टी गुटों या किसी अन्य कारण से ऐसी प्रबंध समिति के संतोषजनक रूप से जारी रहने की संभावना नहीं है, तो प्रबंध समिति को ऐसी समिति, उप-समिति या स्थानीय समिति को भंग करने, निलंबित करने या पुनर्गठन करने या प्रबंधन को अपने हाथों में लेने या उसके संबंध में ऐसे अन्य प्रावधान करने का अधिकार होगा जो वह उचित समझती है।

127 :स्थानीय समिति के प्रस्तावों के लिए प्रबंध समिति की मंजूरी की आवश्यकता होगी बशर्ते कि कार्यवाही की प्राप्ति पर, राष्ट्रपति स्वयं बजट के भीतर सभी या किसी भी प्रस्ताव की पुष्टि कर सकते हैं या उनमें से किसी को भी विचार और निपटान के लिए सी. बी. एस. सी. को भेज सकते हैं या उनमें से किसी को भी प्रबंध समिति के समक्ष आदेश के लिए रख सकते हैं।

सोसायटी के नियम 123 के अनुसार सभी संस्थानों का नियंत्रण डी. ए. वी. कॉलेज प्रबंधन समिति, नई दिल्ली में निहित होना चाहिए।विभिन्न लिखित बयानों और अन्य संबद्ध मामलों के आधार पर याचिकाकर्ता के कारण, जैसा कि तथ्यों का वर्णन करते

समय उल्लेख किया गया है, को भी अस्वीकार कर दिया गया है।

(6) याचिकाकर्ता ने बड़े पैमाने पर दोहराते हुए प्रतिकृति दायर की है तथ्य जिनका उल्लेख रिट याचिका में किया गया है।

(7) याचिकाकर्ता, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होता है, तर्क देता है कि प्रतिवादी 4,6 और 7 अलग-अलग और अलग निकाय हैं।प्रतिवादी संख्या 4 का गठन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कैलेंडर, खंड के खंड 6 के अनुसार किया जाना है। 1, 1989.1979 के अधिनियम के नियम 2 (ई) के तहत प्रबंध समिति को ऐसे कॉलेज के मामलों का प्रबंधन सौंपा गया है और एक कर्मचारी, जैसा कि खंड 2 (सी) के तहत प्रदान किया गया है, का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो किसी संबद्ध कॉलेज के पूर्णकालिक रोजगार में है।उनके इस रुख के लिए कि शासी निकाय नामक प्रबंध समिति केवल एक विशेष कॉलेज से संबंधित है, याचिकाकर्ता, अपनी दलीलों के अनुसार, विश्वविद्यालय और प्रतिवादी-राज्य द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में दायर विभिन्न लिखित बयानों के साथ-साथ 1979 के अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अधिनियम और कैलेंडर खंड पर भी निर्भर करता है। आई, 1989।

(8) याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, इस न्यायालय का विचार है कि नियम 2 (ई) को उद्देश्यों और कारणों के साथ पढ़ने के बाद, उपरोक्त नियम में संशोधन की आवश्यकता होती है, साथ ही संलग्नक आर-6, जो अध्यादेश XVI के परिशिष्ट IX के खंड 6 के संदर्भ में गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार करने से संबंधित है, स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करता है कि नियम 4 के अधीन, एक से अधिक कॉलेज वाले शासी निकाय के पास वरिष्ठता की एक समेकित सूची होनी चाहिए, याचिकाकर्ता के मामले में कोई आधार नहीं है।नियम 2 (ई) में लाए गए संशोधन से पहले राज्य या कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया रुख याचिकाकर्ता द्वारा संशोधन के लिए सेवा में नहीं लगाया जा सकता है, इस न्यायालय को देखते हुए, यह निर्णय लेने में महत्वपूर्ण अंतर पैदा करता है कि क्या यह संबंधित कॉलेज की प्रबंध समिति है या प्रधान प्रबंध समिति जो सेवा शर्तों या सेवा मामलों से निपटने के लिए अधिकार क्षेत्र में है, चाहे वह अपने संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची का स्थानांतरण या तैयारी हो।इसमें कोई संदेह नहीं है कि खंड 2 (ई) में शामिल 'प्रबंधन समिति' की अपरिवर्तित परिभाषा किसी संबद्ध कॉलेज की प्रबंधन समिति होनी थी, लेकिन संलग्नक आर-4 के आधार पर, जो 5 जनवरी, 1996 को अस्तित्व में आया, प्रबंधन समिति किसी संबद्ध कॉलेज या कॉलेज की हो सकती है जिसे ऐसे कॉलेज या कॉलेजों के मामलों का प्रबंधन सौंपा गया हो।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, आदेश 2 (ई) में संशोधन करते समय, उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह स्पष्ट रूप से

उल्लेख किया गया है कि पहले की परिभाषा राज्य में एक से अधिक 149
महाविद्यालयों का प्रबंधन करने वाले निकायों के लिए प्रशासनिक और कानूनी कठिनाइयाँ पैदा कर रही थी और ताकि ऐसे प्रबंधन निकायों को इससे उबरने में सक्षम बनाया जा सके।सत पाल सिंह *बनाम* हरजीत सिंह (सत पाल, जे.) इन कठिनाइयों के लिए अधिनियम की खंड 2 के खंड (ई) में उपयुक्त संशोधन करना आवश्यक था। इसके अलावा, यह मामला गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त कॉलेजों में शिक्षकों की वरिष्ठता सूची तैयार करने से संबंधित संलग्नक आर-6 द्वारा तय किया गया है।संलग्नक आर-6 मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों के अध्यादेश XVI के परिशिष्ट IX के खंड 6 के संदर्भ में अस्तित्व में आया, खंड 3 जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एक से अधिक महाविद्यालय वाले शासी निकाय में वरिष्ठता की एक समेकित सूची होगी।इस न्यायालय का यह भी अन्यथा विचार है कि जहां किसी सोसायटी, निगमित निकाय या किसी व्यक्ति या प्राधिकरण के पास कई शैक्षणिक संस्थान हैं और उक्त संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों के पास हस्तांतरणीय नौकरी है, तो एक सामान्य वरिष्ठता सूची तैयार करना हमेशा बेहतर होता है, अन्यथा यह कर्मचारियों और शैक्षणिक संस्थानों का प्रबंधन करने वाले निकायों दोनों के लिए दुर्गम कठिनाइयाँ पैदा कर सकता है।यह याद किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता ने अपना कारण खो दिया कि वह प्रतिवादी संस्थान के कुछ कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में पहले के रिट में गुहार लगा रहा था।यह अनिवार्य रूप से इस बात का अनुसरण करता है कि प्रतिवादी-संस्थान के कर्मचारियों के पास हस्तांतरणीय नौकरी है।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एक ही प्रबंधन के तहत विभिन्न संस्थानों में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों के लिए, उचित प्रबंधन और प्रशासन के लिए हमेशा सामान्य वरिष्ठता सूची होना बेहतर होता है।

(9) हालाँकि, पक्षकारों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ते हुए, फाइंडी फाइंडिंगियनॉट मेरिट, आईइनथ्रिसी याचिका, एन. आई. आई. 3ई. को खारिज करता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सूर्य करण चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

कह्रखोदा (सोनीपत) हरियाण|